

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा

पत्रांक 1/8/7/15 एम-गो0वृत्त/2015

दिनांक 26.5.15

कार्यालय-ज्ञाप

विभिन्न मार्ग एवं भवन सामग्री तथा मजदूरी की दरों में वर्तमान बाजार दरों के प्रभाव के परिपेक्ष्य में इस वृत्त के प्रचलित शेड्यूल आफ रेट्स का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो गया था। इस संबंध में इस वृत्त के सभी अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 25.05.2015 को सांय 3.00 बजे वृत्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गयी जिसमें मार्ग तथा अन्य कार्यों से संबंधित विभिन्न कार्य मदों के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श के बाद उनकी संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित दर अनुसूची जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए:-

- 1- श्री साद अजीज किदवई, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/ निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
- 2- श्री दूधनाथ राम, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गोण्डा।
- 3- श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।
- 4- श्री सुशीव राम, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर।
- 5- श्री अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
- 6- श्री राजेश तिवारी, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गोण्डा।
- 7- श्री अरविन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोण्डा।
- 8- श्री हरीश चन्द्र सोनी, अवर अभियन्ता (प्रा0), गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा।


गोण्डा वृत्त के उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर वृत्त के सिविल एवं अन्य कार्यों की दरें संलग्न सूची के अनुसार पुनरीक्षित की जा रही हैं। यह दरें जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर हेतु दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी मानी जायेगी। कार्टेज की दर अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 5420/2एम-एल0वृत्त/2014-15 दिनांक 15.7.2014 (संलग्न) द्वारा जारी लागू होगी।

मार्ग/सेतु कार्य हेतु एस0ओ0आर0 में दी गयी श्रमिकों एवं सामग्री की दरों के आधार पर प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 4619/एमटी/सामान्य वर्ग-60एमटी/2012-13 दिनांक 28.5.2012 एवं पत्रांक 6521/एमटी/60एमटी/2012-13 दिनांक 27.7.2012 (पत्र संलग्न) के अनुसार राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्ग हेतु MORTH एवं साधारण अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग हेतु MORD की डाटा बुक के आधार पर दर विश्लेषण करके दरों का प्रयोग किया जायेगा।

भवन कार्यों हेतु 39वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ की दर अनुसूची लागू होगी। यह दरें आगणन गठन के लिए मान्य होंगी। वित्तीय नियमों के अनुसार नियमानुसार प्राप्त की गयी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ही कार्य सम्पादित कराया जाये।

कमश: पेज 2 पर


08/07


अधीक्षण अभियन्ता
गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा

नोट :-1- शेडयूल ऑफ रेट की दरों में कोई त्रुटि (जो सम्भाव्य है) रह गई हो तो अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तत्काल लाने का कष्ट करें।

2- भवन कार्य हेतु जिन मदों की दरें इस दर सूची में उपलब्ध नहीं हैं, उन मदों हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय पत्रांक 5/बीडीडी-1(एनएच0)/40 एमटी0/14 दिनांक 6.2.14 के अनुसार सीपीडीडी के स्कैल्टन पर विश्लेषित दरों/दिल्ली शेडयूल ऑफ रेट्स की दरों को समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अपनाया जा सकता है। शेष शर्तें एवं दरें पूर्व में जारी कार्यालय-ज्ञाप के अनुसार लागू होंगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(क्यूएलारी)

अधीक्षण अभियन्ता

गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विशेष सचिव उ0प्र0शासन, लो0नि0अनुभाग-12, लखनऊ।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, (सामान्य प्रकोण वर्ग), उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 3- महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- मुख्य अभियन्ता(भवन), मुख्यालय-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 5- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता, फौजेश्वर, लो0नि0वि0, फैजाबाद।
- 7- निदेशक, वित्त व्यय नियंत्रण योजना भवन, लखनऊ।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद/बाराबंकी/अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, फैजाबाद/बाराबंकी/सुल्तानपुर।
- 9- जिलाधिकारी, गोण्डा/बलरामपुर।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड/1/2, लो0नि0वि0, गोण्डा/बलरामपुर।
- 11- अवर अभियन्ता (प्रौ), गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा।

अधीक्षण अभियन्ता,

गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0, गोण्डा